न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 21/2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023/46

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
जेरूपाराम पुत्र समेला वगैरह	भावा पुत्र प्रेमा वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 07.07.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व 8 लगायत 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 व 11, 12 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 23.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजा सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ के पुराने खसरा नंबर 397 रकबा 99 बीघा 8 बिस्वा से नवसृजित खसरा नंबर 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 जुमले रकबा 16.09 हैक्टेयर की खातेदारी रामजी वल्द गोदा कौम रेबारी निवासी सरनाउ के नाम से आई हुई थी। रामजी के पिताजी का नाम गोदा था। गोदा के तीन पुत्र रामजी, भीमा व मेघा थे। रामजी के कोई औलाद नहीं थी। रामजी के फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत रामजी के सगे भाई भीमा व मेघा के वारिश समेला, प्रेमा, जगा पुत्र भीमा व भगवाना, वेला, जगरूपा पिता मेघा के नाम से नामान्तरकरण संख्या 61 पुराने खसरा नंबर 397 रकबा 99 बीघा 8 बिस्वा का नामान्तरकरण दिनांक 15.06.1966 को स्वीकार किया गया फिर लगातार विक्रम संवत् 2026 से 2029 की जमाबंदी में समेला, प्रेमा जगा 1/2, भगवाना, जगरूपा वेला पिसरान मेघा 1/2 हिस्से में नाम दर्जसुदा चला आया। प्रेमा फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 16.05.1989 को स्वीकार किया गया जिसमें समेला, जगा पिसरान भीमा, भावा, माधा, हरचन्द पिसरान प्रेमा 1/2 व भगवानाराम, जगरूपा, वेला पिसरान मेघा 1/2 यानि स्व. प्रेमा की जगह उनके वारिश भावा, माधा हरचन्द पिसरान प्रेमा के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। नकल प्रथम मिसल बंदोबस्त, मिलान क्षैत्रफल, नकल नामान्तरकरण फौतेदगी रामजी व नकल नामान्तरकरण फौतेदगी प्रेमा सलंग्न पेश है। पूर्व में भाई बंटवाड़ा के अनुसार मौजा सरनाउ में स्थित खसरा नंबर 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 में से खसरा नंबर 887, 888 परिशिष्ट 'अ' अनुसार व खसरा नंबर 562, 566, 567, 568, 569, 575/1325, 577 में से 568, 566, 567 खसरे प्रार्थीगण के बंट में आया होने से मौके पर बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थीगण के हिस्से में मौके पर प्रार्थीगण का अपने

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

हिस्से की आराजी पर बंटवाड़ा की तारीख से प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त शांतिपूर्वक बैरोकटोक आया होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी होने से प्रार्थना–पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के ताफैसला तक अप्रार्थीगण को मौजा सरनाउ के खेत खसरा नंबर 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें व मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व 8, 9 ने काउन्टर टी. आई में जवाब प्रार्थना–पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मनगंढत, आधारहीन एवं असत्य तथा विधि विरूद्व होने से खारिज फरमावें एवं ताफैसला मूल वाद काउन्टर क्लैम के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं अन्य किसी मजदूर एजेन्ट से करावें एवं रास्ता स्थित भूमि में किसी प्रकार का अप्रार्थीगण के आवागमन में अवरोध वगैरह पैदा नहीं करें एवं न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें। इस आशय की काउन्टर टी.आई अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम मौजा सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ के खेत खसरा संख्या 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 जुमले रकबा 16.09 हैक्टेयर, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल के खेत खसरा नंबर 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1496, 1496/1715, 1507, 1508, 1509, 1516, 1518, 1519, 1529, 1530 जुमले रकबा 9.52 हैक्टेयर व खसरा नंबर 418, 421, 447, 478, 491, 514 जुमले रकबा 9.21 हैक्टेयर की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **23.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर